न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 139/21

गुरदीप सिंह पुत्र बंजार सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. बंजार सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

असल प्रतिवादी

2. कोडाबाई पत्नी बंजार सिंह
3. करनैल सिंह
4. कुन्दन सिंह
5. कलवन्त सिंह पिसरान बंजार सिंह
6. नानको कौर पुत्री बंजार सिंह जाति सिक्ख निवासीयान ग्राम सहसन तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
8. शाखा प्रबन्धक महोदय, पी0एन0बी0शाखा सोमका तहसील पहाडी

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादी

दिनांक :– 16/08/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 5565/320/1.62 हैक्टर बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होते है आराजी मुतदाविया को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 1 मिलकर सम्मलित रूप से काश्त कर रहे है तथा आराजी मुतदाविया पैत्रिक आराजी है वादी अपने हिस्से के मुताबिक आराजी मुतदाविया पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है वादी का असल प्रतिवादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ सम्मलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी को पूर्व में वादी का बाबा काश्त करते थे उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार मुताबिक कानून मौके पर सम्मलित रूप से वाहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है वादी व प्रतिवादीगण का भी अपने हिस्से के मुताबिक 1/7–1/7 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 का अपनी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी मुताबिक सम्पूर्ण हिस्सा से किसी प्रकार का संबंध नहीं है

Scanned with OKEN Scanner

बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से पर काबिज रहकर सम्मलित रूप से काश्त कर रहा है शेष आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 1/7–1/7 हिस्से पर काश्त कर रहे है प्रतिवादी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ झगडा फिसाद करने पर उतारू रहता है इसलिये वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से आराजी मुतदाविया का मुताबिक हिस्सा बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया । विधि वजह उक्त आराजी पर डिक्लेशन प्राप्त करने के बाद मुताबिक हिस्सा अच्छी मे से अच्छी व बुरी में बुरी का वादी प्रतिवादी , तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर अलग–अलग राज लगान व जमाबन्दीयां कायम किये जावें। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी से बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल कराना चाहता है जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 03/07/2014 को ऐलानिया धमकी दी है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के हक समान है क्योकि वक्त दावा दायरी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । विनाय मुखास्मत प्रथम दिनांक 16/06/2014 को नकल जमाबन्दी मिलने पर गलत इन्द्राज का इल्म होने पर दोयम दिनांक 16/06/2014 को नकल जमाबन्दी मिलने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐलानिया धमकी देने पर बांके ग्राम सहसन पैदा हुई। अतः निवेदन है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी मुतदाविया किसी दीगर शख्स को रहनवय मुन्तकिल ना करने एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 गुरदीप सिंह, पी0डब्लू0 2 बलविन्दर सिंह, पी0डब्लू0 3 कुलदीप सिंह पी0डब्लू0 4 बलवन्त सिंह के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062, किता–2 पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पैत्रिक आराजी के संबंध में पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी प्रमाणित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner